Try. Form No. 385 **(P)**

RECEIPT FOR PAYMENT TO GOVERNMENT

(Form No. 1, Chapter III, Paragraph 26, Financial Hand-book Volume V, Part I)

14

Receipt No. 244114

Place ARFS [illegible] Date 28-11-2018

Department and Office [illegible]

Received from [illegible] सहारनपुर

the sum of Rupees

on account of [illegible] सौ मात्र

प्रति० [illegible]

Signature of Government Servant granting the receipt.

Cashier or Accountant *Designation*

900/-रु.

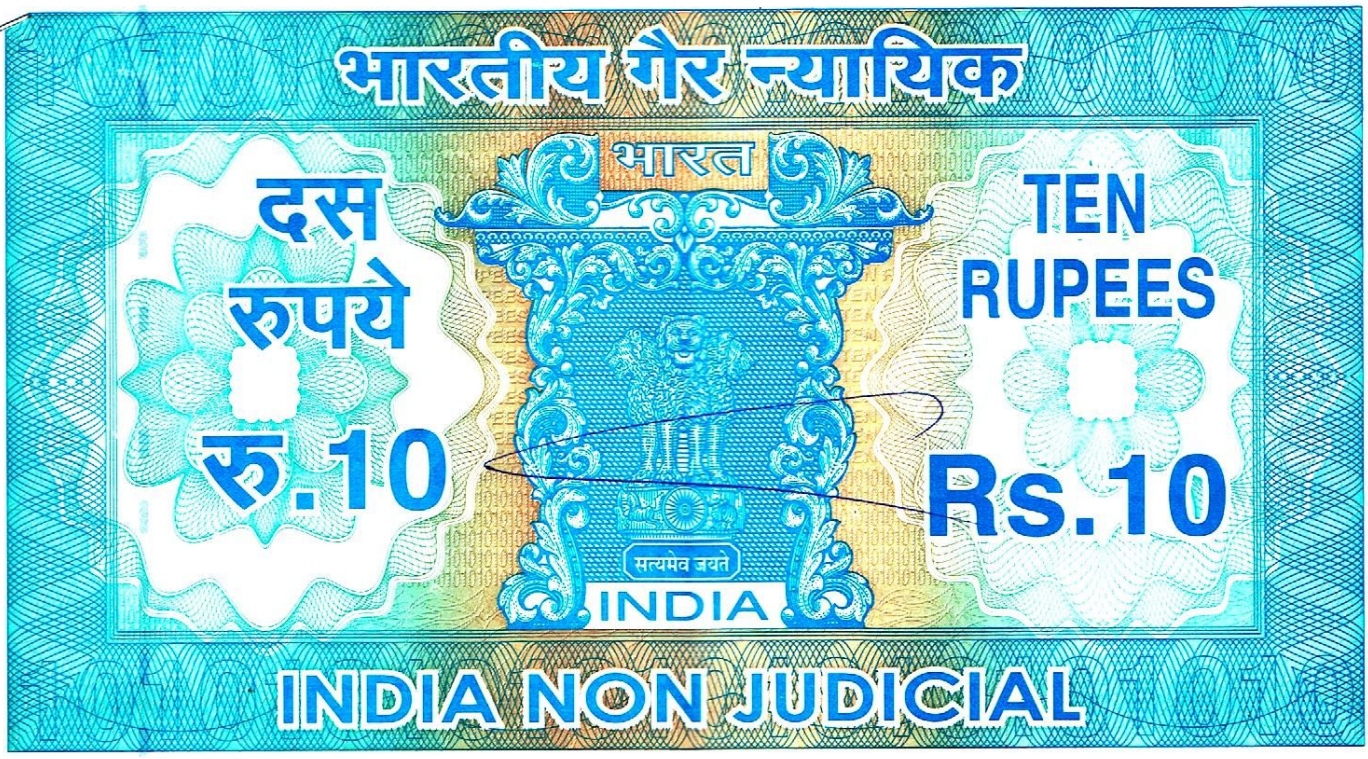

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AD 795703

यह जनरल स्टाम्प पेपर महावीर इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी, देहरादून रोड़, छुटमलपुर जिला-सहारनपुर के स्मृति-पत्र की सत्य प्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

[signature]

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
28/11/2018

28 NOV 2018

क्रमांक 45 दिनांक

स्टाम्प का मूल्य 100

(शब्दों और अंकों में)

खरीदार का नाम व पिता/पति का नाम महावीर [illegible]

पत्राचार का पूरा नाम

लेखपत्र का प्रकार

स्टाम्प विक्रेता का नाम—[illegible]

अनुज्ञप्ति न०—[illegible]12

अवधि 2016 से 2021 [illegible]

स्टाम्प बिक्री का [illegible]

28/11/18

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43AD 795702

यह जनरल स्टाम्प पेपर महावीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (ग्राम) ढेरनीवाला, देहरादून रोड, छुटमलपुर जिला-सहारनपुर की नियमावली की सत्य प्रतिलिपि के साथ लगाया है।

for/

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
28/11/18

55 28 NOV 2018

क्रमांक 55 दिनांक 28 NOV 2018

स्टाम्प का मूल्य 100

(शब्दों और अंकों में)

खरीदार का नाम व जिस कार्य का नाम महावीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी प्रयागराज

पत्राचार का पूरा नाम

लेखपत्र का प्रकार

स्टाम्प विक्रेता का नाम-[illegible]

अनुज्ञप्ति नं०-[illegible]

अवधि 2016 से 2021

28/11/18

स्मृति–पत्र

1– संस्था का नाम : महावीर इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी

2– पंजीकृत कार्यालय : देहरादून रोड, छुटमलपुर, जिला सहारनपुर।

3– कार्यक्षेत्र : समस्त भारत वर्ष। भारत के अलावा विदेशों में कहीं भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शाखा खोल सकेगी।

4– उद्देश्य

(1) समाज में शैक्षिक स्तर बढ़ाने के लिये शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालित करना।

(2) समाज के विभिन्न धर्मो के लोगो में आपसी भाईचारा, सद्भावना, एकता बन्धुत्व की भावना का समावेश करना।

(3) समाज मे व्याप्त छुआछूत, मद्यपान, दहेज प्रथा, निरक्षरता आदि कुप्रथाओ के उन्मूलन हेतु जन चेतना जागृत करना।

(4) बाल विकास, महिला कल्याण तथा बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा के लिये टीकाकरण तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन करना।

(5) पर्यावरण सुधार हेतु प्रदूषण के विरूद्ध जनजागरण व वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार व संचालन निःशुल्क करना।

(6) क्षेत्र की महिलाओं, विकलांगों, आर्थिक स्तर से निम्न वर्ग तथा पिछड़े वर्ग के लोगों में स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करना तथा स्वरोजगार के लिये खादी ग्रामोद्योग आयोग / खादी बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद / विभाग तथा अन्य सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाओं को तकनीकी नीतियाँ और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये नवीन तकनीकी का विकास करना तथा निःशुल्क शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(7) बाढ़, सूखा महामारी, दैवीय आपदाओं से पीड़ित लोगों के मध्य राहत कार्य करना तथा उनके पुर्नवास की निःशुल्क व्यवस्था करना।

(8) पत्रिकाओं के प्रकाशन / संपादन तथा राष्ट्रीय पर्वो का निःशुल्क आयोजन करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
28/11/2018

(9) निर्धन असहाय, अनाथ, पिछड़े, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों द्वारा उनकी सहायता करना एवं उन्हें निःशुल्क मार्ग दर्शन करना।

(10) महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी एवं चिकनकारीगरी का प्रशिक्षण देने हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें संचालित करना तथा उन्हें आत्मनिर्भता की ओर अग्रसर बनाना।

(11) क्षेत्र में शिक्षालय, छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, व्यामशाला, डिग्री कालेज, बी०ए०एड० कालेज, ला--कालेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, [illegible], [illegible] अनाथालयों, निःशुल्क चिकित्सालयों और उच्च शिक्षा, शिल्प कला केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

(12) समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पर विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।

(13) आंगनबाड़ी, बालबाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, औपचारिक शिक्षा तथा ट्राइसिंग योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों का संचालन करना।

(14) समस्त समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र एवं ग्राम सेवा का कार्य करना।

(15) बेरोजगार / शिक्षित बेरोजगार युवकों / युवतियों को लघु उद्योगों की स्थापना हेतु निःशुल्क प्रशिक्षित करना।

(16) समाज के लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए रोजगार के अवसर का सृजन करना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिए कृषि पशुपालन, पशुओं में सुधार एवं पशुओं के कल्याण एवं जागरूकता अभियान, उद्योग तथा सेवाओं के लिए विकास योजनाएं बनाना तथा कार्यक्रम चलाना।

(17) समाज में विज्ञान के लोकप्रियकरण व विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु विचार गोष्ठियों प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा समाज में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा वैज्ञानिक अविष्कार के उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(18) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड उ०प्र० /अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत शामिल ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार स्थापना व संचालन करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
28/11/18

क्रमशः...3

(19) समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, सिपसा, अबार्ड, नाबार्ड, सिडबी मानव संस्थान विकास मंत्रालय, यूनीसेफ के सहयोग से महिलाओं एवं बाल विकास कार्यक्रमों एवं अन्य ग्रामीण विकास परियोजनाओं का प्रचार, प्रसार एवं संचालन करना।

(20) केन्द्र / प्रदेश सरकार द्वारा संचालित फलसंरक्षण एवं एम0एफ0पी0आई0 द्वारा सभी प्रकार के संरक्षण फल एवं खाद्य संरक्षण एवं डिब्बा पेकिंग संरक्षण एवं महिलाओं में जागरूकता के कार्यक्रम कराना।

(21) समाज के हित में चलचित्र का निर्माण एवं सहयोग।

(22) कुष्ट उन्मूलन, परिवार कल्याण, पल्स पोलियों, एड्स कार्यक्रमों का संचालन व प्रसार करना।

(23) कैंसर, मानसिक रूप से विकलांग, एड्स एवं अन्य रोगों से ग्रसित लोगों के लिये धनराशि एकत्रित करके उपरोक्त पीड़ित की मदद पहुँचाना एवं रोगमुक्त केन्द्रों की स्थापना करना।

(24) कैंसर, एड्स एवं मानसिक विकलांग, विकलांग, गूंगे बहरों के लिये विद्यालयों की स्थापना करना तथा ट्रेनिंग व अन्य कार्यक्रम संचालित करना।

(25) निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिये आश्रम स्थल नारी सुलभ उद्योगों का प्रशिक्षण एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

(26) देश तथा विदेश एवं प्रदेश की समउद्देश्यो वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उद्देश्यों की पूर्ति करना।

(27) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग कपार्ट स्थानीय निकाय संस्थानों एवं बैंको से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

(28) संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु चन्दा, दान आदि प्राप्त करना तथा राज्य एवं केन्द्रीय सरकार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से ऋण अनुदान प्राप्त करना।

(29) किसी भूमि भवन तथा चल–अचल सम्पत्ति को अनुदान में प्राप्त करना क्रय करना, व्यवस्थित रखना हस्तान्तरण तथा पट्टे या किराये पर लेना या अनुज्ञा द्वारा अन्य साधनों से प्राप्त करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 सहारनपुर
28/11/2018

(31) समाज के पिछड़े हुये और [illegible] वर्ग के लोगो को शैक्षणिक [illegible] [illegible] हेतु प्रोत्साहित करना।

प्रबन्धकारिणी समिति :

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्[illegible] के नाम, पते एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया हैं :–

क्र०सं०	नाम, पिता का नाम एवं पता	व्यवसाय	पद
1–	श्री चमन शर्मा पुत्र श्री बालेश्वर शर्मा ग्राम व पोस्ट सिहानी, गाजियाबाद	व्यापार	अध्यक्ष
2–	श्रीमती अर्चना शर्मा पत्नी श्री चमन शर्मा, ग्राम व पोस्ट सिहानी, गाजियाबाद	गृहिणी	उपाध्यक्ष
3–	श्री धर्मेन्द्र भारद्वाज पुत्र श्री महावीर भारद्वाज, कंकर खेड़ा, मेरठ।	व्यापार	मन्त्री
4–	श्रीमती प्रियंका भारद्वाज पत्नी श्री धर्मेन्द्र भारद्वाज, कंकर खेड़ा, मेरठ।	गृहिणी	उपमन्त्री
5–	श्री दयानन्द शर्मा टीचर कालोनी, मोदीनगर।	अध्यापक	कोषाध्यक्ष
6–	श्री मौनी बाबा रामदास ग्राम व पोस्ट सिहानी, गाजियाबाद	[illegible]सेवा	संचालक सदस्य
7–	श्री गौतम शर्मा पुत्र श्री बालेश्वर शर्मा ग्राम व पोस्ट सिहानी, गाजियाबाद	व्यापार	सदस्य
8–	श्री डी०बी० बन्धुनी ग्राम व पोस्ट सिहानी, गाजियाबाद	नौकरी	सदस्य
9–	श्री संजीव शर्मा पुत्र श्री महावीर भारद्वाज कंकर खेड़ा, मेरठ।	व्यापार	सदस्य
10–	श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री महावीर भारद्वाज कंकर खेड़ा, मेरठ।	व्यापार	सदस्य
11–	श्री बालेश्वर शर्मा पुत्र स्व० श्री [illegible] शर्मा, ग्राम व पोस्ट सिहानी, गाजियाबाद	व्यापार	सदस्य

[illegible]

सत्य प्रतिलिपि

[illegible]

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible]
28/11/2018

नियमावली

1— संस्था का नाम : महावीर इस्टीट्यूट आफ मेनेजमेन्ट एण्ड टैक्नोलॉजी

2— संस्था का पता : देहरादून रोड, छुटमलपुर, जिला सहारनपुर।

3— संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश/भारतवर्ष होगा साथ ही भारत के अलावा विदेशो में कहीं भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शाखा खोल सकेगी।

4— उद्देश्य : संस्था के उद्देश्य संस्था के स्मृति पत्र में अंकितानुसार होगें।

5— संस्था की सदस्या : प्रत्येक स्त्री, पुरूष जो 18 साल से अधिक आयु के है सर्वोदय विचारधारा का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो संस्था का सदस्य हो सकेगा

6— सदस्यो के वर्ग

(अ) संस्थापक सदस्य :

कोई भी आदमी जो क्रमांक 5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और उसने संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली पर हस्ताक्षर किये हो तथा संस्था को एक मुश्त रू0 5000.00 या अधिक दान में दे ऐसी सभी सदस्य संस्था के संस्थापक सदस्य कहलायेंगे।

(ब) आजीवन सदस्य :

कोई भी आदमी जो क्रमांक 5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह रू0 1000.00 अधिक दान में देकर संस्था की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है जिसे वर्तमान संस्थापक एवं आजीवन सदस्यों में दो तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदन किये जाने पर संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 सहारनपुर
28/11/2018

क्रमशः———2

11/11

स– साधारण सभा :

कोई भी आदमी क्रमांक 5 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह संस्था में 200/– रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा कराने पर एवं वर्तमान संस्थापक आजीवन एवं साधारण सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदन होने पर संस्था का साधारण सदस्य बन सकता है।

द– मनोनीत सदस्य :

कोई भी सदस्य जो क्रमांक के अनुसार सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हित में उसका विशेष आवश्यकता महसूस करती हो तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रबन्ध कारिणी समिति 3 वर्ष की अवधि के लिए अपने तीन चौथाई बहुमत से मनोनीत कर सकती है। ऐसे सदस्यों की संख्या एक समय में अधिक से अधिक चार होगी तथा ऐसे सदस्यों को प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव में मताधिकार नहीं होगा।

7– आम सभा का गठन 5

संस्था के संस्थापक व साधारण एवं मनोनीत सदस्यों का समूह ही आम सभा कहलायेगा।

(ख) आम सभा के कार्य :

(क) प्रत्येक तीन साल बाद अपने सदस्यों में से आमसभा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव करेगी।

(ख) वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब पास करना।

(ग) संस्था की नीति निर्धारित करना।

(घ) वार्षिक बजट स्वीकार करनां

(च) अन्य सदस्यों का संस्था से निकालने का अधिकार आम सभा को होगा।

6

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
28/11/2018

ख– संस्था के संचालन एवं आम सभा के प्रस्ताव का पालन करना और योजना बनाना।

ग– बजट बनाना और उसको आम सभा से स्वीकृत करना।

घ– संस्था के क्षेत्र को घटाना और बढ़ाना एवं आवश्यकतानुसार प्रधान कार्यालय का स्थानान्तरण करना।

च– कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति तथा उप–समितियों का गठन करना।

छ– ऋण अनुदान लेने व देने को स्वीकार करना तथा बैंक से लेन–देन का अधिकार देना।

ज– मंत्री द्वारा प्राप्त हिसाब किताब व प्रगति रिपोर्ट स्वीकार करना।

झ– अन्य आवश्यक कार्य जो संस्था हित में हो करना।

य– एक हजार रूपये से अधिक के व्यय की अनुमति स्वीकृति देना एवं बिल पास करना।

11– संस्था के पदाधिकारी –

1– अध्यक्ष,	2– उपाध्यक्ष,	3– मन्त्री
4– उपमंत्री,	5– कोषाध्यक्ष,	6– संचालक सदस्य

12– पदाधिकारियों के कर्तव्य –

1– अध्यक्ष

क– संस्था की कार्यकारिणी समिति व आम सभा का गठन की अध्यक्षता करना।

ख– संस्था के हितार्थ कोई भी कार्य जो कार्यकारिणी समिति व आम सभा के स्वीकृत हो, करवाना।

ग– संस्था की आम देखभाल करना।

2– उपाध्यक्ष –

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त कार्य करना।

3– मन्त्री –

क– संस्था की आवश्यकतानुसार आम सभा या कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना उसकी कार्यवाही लिखना तथा अगली बैठक में उसे स्वीकार कराना।

ख– संस्था के कार्य को चलाने हेतु कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना उनकी सेवा के नियम बनाना, उनके कार्यों की देखभाल करना, उन पर निर्णय लेकर कार्यवाही करना सेवा मुक्ति एवं वेतन वृद्धि आदि करना संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 1000/– रू0 तक के व्यय की स्वीकृति करना एवं व्यय करना।

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 सहारनपुर
28/11/18

घ— संस्था की पूंजी को कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन किसी राष्ट्रीयकृत बैंको में रखना निकालना। संस्था के समस्त वाउचरों का स्वीकार करना।

च— संस्था के हितार्थ सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी और ग्रामोद्योग आयोग संस्थाओं व किसी आदमी से सहायता व अनुदान प्राप्त करना व देना।

छ— अन्य समस्त ऐसे कार्य जो संस्था के हितार्थ हो और संस्था के उद्देश्यों तथा आम सभा कार्यकारिणी समिति के निर्णय के विरूद्ध न हो करना।

4— उपमन्त्री —

मन्त्री के कार्य में सहायता/सहयोग करना एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

5— कोषाध्यक्ष —

क— संस्था के हिसाब–किताब सम्बन्धित कागजात को तैयार करवाना सुरक्षित रखना संस्था द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उसका आडिट करवाना। आडिट रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति मे प्रस्तुत करना।

13— बैठके —

क— प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान आम सभा की वर्ष में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है।

ख— वार्षिक आम सभा की बैठक आर्थिक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अवश्य बुलाई जायेगी।

ग— प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यकारिणी समिति की कम से कम चार बैठके होना आवश्यक है।

14— कोरम —

साधारण सभा का कोरम 3/4 तथा कार्यकारिणी समिति का कोरम 2/3 होना आवश्यक है। लेकिन स्थगित की गई बैठक यदि उन्हीं विषयों पर विचार करने के बाद पुनः बुलाई जाती है तो इसके लिये कोरम पूर्ण होने की पाबन्दी नही होगी।

15— बैठक की सूचना —

आम सभा की बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा कार्यकारिणी समिति की बैठकों की सूचना 7 दिन पूर्व देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में बुलाई गई बैठकों के लिये 24 घंटे पूर्व दी जायेगी सूचना पर्याप्त होगी।

16— सदस्यता से पृथकीकरण —

1— सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 सहारनपुर
28/11/18

2— नैतिक अपराध में दण्डित होने

3— मादक द्रव्यों के सेवन करने पर

4— आचरण भ्रष्ट होने पर

5— संस्था विरोधी आचरण करने पर

6— मृत्यु होने पर

7— सदस्यता शुल्क न देने पर

8— कार्यकारिणी समिति का कोई सदस्य यदि लगातार तीन बैठकों में बिना किसी वैध कारण के अनुपस्थित रहता है तो उसकी कार्यकारिणी समिति की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

17— रिक्त स्थानों की पूर्ति :

कार्यकारिणी सदस्य के रिक्त स्थानकी पूर्ति शेष अवधि के लिए कार्यकारिणी समिति आमसभा के सदस्य में कर सकेगी।

18— नियमों के परिवर्तन में संशोधन :

(क) संस्था के नियमों के परिवर्तन एवं संशोधन हेतु संस्था की कार्यकारिणी समिति की बैठक में पास होने के 10 दिन बाद आम सभा की बैठक की पुष्टि कराई जानी चाहिए तथा इसके एक बाद माह विशेष आम सभा की बैठक में भी पुष्टि होना अनिवार्य है।

संशोधन प्रस्ताव निबन्धक सोसाइटी को मंत्री के साथ तीन अन्य सदस्यों केएवं भूतपूर्व सदस्यों के हस्ताक्षर कराये एक माह के अन्दर आवेदन किये जाने चाहिए।

(ख) उद्देश्यों के अन्तर्गत उपनियम बनाने का अधिकार कार्यकारिणी समिति का होगा परन्तु उसकी भी उपरोक्तानुसार पुष्टि कराकर ही संशोधन हेतु आवेदन किया जाना चाहिए।

(ग) संस्था के समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम होना तथा अध्यक्ष एवं मंत्री एवं अन्य अधिकृत व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षर से धन निकाला जा सकता है।

सदस्य रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाफ रजिस्टर, कैश बुक, रसीद बुक, डाक पंजिका आदि जो आवश्यक हो रखे जायेंगे।

19— आडिट : संस्था के वार्षिक आय व व्यय की जांच कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त चार्टड द्वारा कराई जायेगी।

क्रमशः—

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ0प्र0 सहारनपुर

(22) संस्था का समापन :

संस्था के समापन की स्थिति में ऋण के निपटाने के पश्चात इसकी जो भी सम्पत्ति शेष रहेगी केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति के अनुमोदन से यह समान उद्देश्य रखने वाली दूसरी संस्था को हस्तान्तरित की जायेगा।

1— श्री चमन शर्मा
2— श्रीमती अर्चना शर्मा
3— श्री धर्मेन्द्र भारद्वाज
4— श्रीमती प्रियंका भारद्वाज
5— श्री दयानन्द शर्मा
6— श्री मौनीबाबा रामदास
7— श्री गौतम शर्मा
8— श्री डी०बी० बहुगी
9— श्री राजीव शर्मा
10— श्री राकेश शर्मा
11— श्री [illegible]श्वर शर्मा

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसायटीज एवं चिट्स
उ०प्र० सहारनपुर
28/11/18